

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1976/माघ 21, 1897
 No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY, 10, 1976/MAGHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है। जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th February 1976

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4, of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "RAJASTHAN" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"RAJASTHAN"

1. Senior posts under the State Government.	95
Chief Secretary to the Government	1
Chairman Board of Revenue.	1
Commissioner-cum-Secretaries/Ex-officio Secretaries to the Government.	11

Commissioner for Departmental Enquiries.	1
Commissioner, Commercial Taxes.	1
Member, Board of Revenue.	4
Commissioners, Area Development.	2
Commissioner, Desert Development.	1
Commissioner, Tribal Area Development.	1
Secretaries/Special Secretaries to the Government.	9
Deputy Secretaries to Government.	16
Settlement Commissioner & Ex-officio Director of Consolidation.	1
Director of Community Development and panchayats.	1
Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government.	1
Registrar, Co-operative Societies.	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister.	1
Collectors.	26
Director of Industries.	1
Director, Primary & Secondary Education.	1
Director, Small Savings & State Lotteries.	1
Labour Commissioner.	1
Director, Harishchandra Mathur State Institute of Public Administration.	1
Commissioner, Excise.	1
Secretary, Rajasthan Canal Board.	1
Commissioner Colonisation, Rajasthan Canal Project.	1
Additional Commissioner, Commercial Taxes.	1
Registrar,, Board of Revenue.	1
Additional Registrar, Co-operative Societies.	1
Revenue Appellate Authority.	1
Additional Commissioner, Food and Civil Supplies.	1
Additional Area Development Commissioner.	2
	95
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above.	38
3. Posts which can be filled by promotion or selection in accordance with the rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25 per cent of 1 plus 2 above.	33
4. Posts to be filled by direct recruitment 1 plus 2 minus 3.	100
5. Deputation Reserve at 20 per cent of 4 above.	24*
6. Leave Reserve at 5 per cent of 4 above	5
7. Junior posts at 20.60 per cent of 4 above.	21
8. Training Reserve at 10.59 per cent of 4 above.	11
Direct Recruitment Posts.	161
Promotion Posts.	33
Total Authorised Strength	194

*Includes the following 4 posts in excess of 20 per cent.

N.B. The total authorised cadre strength of Rajasthan prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 178.

संश्लेषण सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 72 (अ).--भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवक्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'राजस्थान' शीर्षक और उसके नीचे दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“राजस्थान”

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	95
सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
आयुक्त सह-सचिव/सरकार के पदेन सचिव	11
विभागीय जॉन्ट आयुक्त	1
आयुक्त वाणिज्य कर	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	4
आयुक्त, क्षेत्र विकास	2
आयुक्त, मरुस्थल विकास	1
आयुक्त जन जातीय क्षेत्र विकास	1
सरकार के सचिव / विशेष सचिव	9
सरकार के उप सचिव	16
अव्यवस्था आयुक्त और पदेन चकबंदी निदेशक	1
मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा निर्वाचन निदेशक और सरकार के सचिव	1

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
राज्यपाल के सचिव	1
निदेशक, सामुदायिक विकास और पंचायत	1
अतिरिक्त क्षेत्र विकास आयुक्त	2
निदेशक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	1
निदेशक, लघु बचत तथा राज्य लाट्रीज	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
समाहर्ता (क्लेक्टर्स)	26
उद्योग के निदेशक	1
निदेशक, हरीशचन्द्र माधुर	
राजकीय लोक प्रशासन संस्थान	1
आयुक्त, आबकारी	1
सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	1
आयुक्त, कोलोनी निर्माण	
राजस्थान नहर परियोजना	1
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर	1
रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड	1
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
राजस्व अपील, प्राधिकारी	1
अपर आयुक्त, खाद्य तथा सिविल पूर्ति	1
श्रम आयुक्त	1
	95
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के	
40 प्रतिशत के हिसाब से	38
	133
3. भारतीय प्रशासन (भर्ती) नियम, 1954 के नियम	
8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जा	
सकने वाले पद उपर्युक्त 1 जमा 2 के 25	
प्रतिशत के हिसाब से ।	33
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले /पद उपर्युक्त 1	
तथा 2 में से 3 घटाकर	100
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के	
हिसाब से ।	24*

*20 प्रतिशत के अतिरिक्त 4 पद शामिल हैं ।

6. छुट्टी के रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से ।	5
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से ।	21
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	11

सीधी भर्ती वाले पद	161
--------------------	-----

पदोन्नति वाले पद	33
------------------	----

कुल प्राधिकृत संख्या	194
----------------------	-----

विशेष ध्यान दीजिए.—राजस्थान संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या जैसे कि उपर्युक्त अधिसूचना में दिया गया है उस के गठन तथा उसकी पद संख्या को संशोधित किये जाने से पूर्व 178 थी ।

[सं० 1131/22/75 प्र० भा० से० (II)—क]

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments' in the Table, for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"RAJASTHAN"

State	Particulars of posts	Scale of pay
		Rs.
Rajasthan	Chief Secretary to Government	3500/-
	Chairman, Board of Revenue	3000/-
	Commissioner-cum-Secretary/Ex-Officio Secretaries to Government	2500—125/2—2750
	Commissioner for Departmental Enquiries	2500—125/2—2750
	Commissioner, Commercial Taxes	2500—125/2—2750
	Member, Board of Revenue	2500—125/2—2750
	Commissioner, Area Development	2500—125/2—2750
	Commissioner, Desert Development	2500—125/2—2750
	Commissioner, Tribal Area Development	2500—125/2—2750

- (b) In 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)', in the Table, for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

Secretaries/Special Secretaries to Government.

Deputy Secretaries to Government.

Settlement Commissioner and ex-officio Director of Consolidation.

Director of Community Development and Panchayats.

Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government.

Registrar, Co-operative Societies.

Secretary to Governor.

Secretary to Chief Minister.

Collectors.

Director of Industries.

Director, Primary & Secondary Education.

Director, Small Savings & State Lotteries.

Labour Commissioner.

Director, Harishchandra Mathur State Institute of Public Administration.

Commissioner, Excise.

Secretary, Rajasthan Canal Road.

Commissioner Colonisation, Rajasthan Canal Project.

Additional Commissioner, Commercial Taxes.

Registrar, Board of Revenue.

Additional Registrar, Co-operative Societies.

Revenue Appellate Authority.

Additional Commissioner, Food and Civil Supplies.

Additional Area Development Commissioner.

[No. 11031/22/75-AIS(II)]

A. K. GUPTA, Under Secy.

सा० का० नि० 73 (घ).—भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951, (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-3 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

- [1. (1) इन संशोधनों का भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 में 1976 का पांचवा संशोधन कहा जा सकेगा।

- (2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची में संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-III में "क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन राजस्थान के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं.—

पद का नाम	वेतन
सरकार के मुख्य सचिव	रु० 3,500
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	रु० 3,000
आयुक्त सह-सचिव—सरकार के पदेन सचिव	रु० 2500-125/2-2750
विभागीय जॉच आयुक्त	रु० 2500-125/2-2750
वाणिज्य कर आयुक्त	रु० 2500-125/2-2750
सदस्य, राजस्व बोर्ड	रु० 2500-125/2-2750
आयुक्त, क्षेत्र विकास	रु० 2500-125/2-2750
आयुक्त, मरुस्थल विकास	रु० 2500-125/2-2750
आयुक्त, जन जातीय क्षेत्र विकास	रु० 2500-125/2-2750

(ख) "ख-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वे पद जिनका वेतन वरिष्ठ वेतनमान में है, जिनमें वे पद भी शामिल हैं जिनके विशेष वेतन वरिष्ठ वेतनमान के अतिरिक्त है" शीर्षक के अधीन राजस्थान के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात्:—

सरकार के सचिव/विशेष सचिव

सरकार के उप सचिव

बन्दोबस्त आयुक्त तथा पदेन

जकबन्दी निदेशक

पंचायत तथा सामुदायिक विकास निदेशक

मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा निर्वाचन निदेशक तथा सरकार के पदेन सचिव

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

राज्यपाल के सचिव

मुख्यमंत्री के सचिव

निदेशक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

निदेशक, लघु बचत तथा राज्य लाटरीज

अतिरिक्त क्षेत्र विकास आयुक्त

समाहर्ता (क्लेक्टर)

उद्योग निदेशक

निदेशक, हरिश्चन्द्र माधुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान

आयुक्त, आयुक्त

सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड

आयुक्त, कालोनी निर्माण, राजस्थान

नहर परियोजना

अपर आयुक्त, वाणिज्यकर

रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड

अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपर आयुक्त, खाद्य तथा सिविल पूर्ति

अपर आयुक्त ।

[सं० 11031/22/75-अ०भा०से० (II)-ब]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव ।